

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढवाल (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या - 377/2021

अन्वान:-

1. महेन्द्रसिंह पुत्र गुरबचनसिंह जाति जटसिख निवासी रतनुपरा तहसील नोहर।
- वादी

बनाम

1. सुशीलपाल पुत्र रामप्रताप जाति जटसिख निवासी चारणवासी तहसील नोहर।
2. राकेश कुमार पुत्र रामप्रताप जाति जटसिख निवासी चारणवासी तहसील नोहर।
3. जगरूपसिंह पुत्र महासिंह जाति जटसिख निवासी रतनुपरा तहसील नोहर-कलमजन
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर तहसील नोहर।
5. अनिल कुमार पुत्र रायसिंह गोदारा जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
6. पवन कुमार पुत्र राधाकृष्ण जाति सुथार निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।

- प्रतिवादीगण

दावा बाबत खाता विभाजन अन्तर्गत धारा
53 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :- 1. श्री मांगोराम गोदारा अधिवक्ता वादीगण
2. परोकार राज

निर्णय

दिनांक: 26/05/2025

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया गया है कि वादी एवं प्रतिवादीगण की शामिल खाते कि कृषि भूमि रोही मौजा शिवपुरा तहसील नोहर के प0न0 310/380 मु0न0 47 के किला न0 1 ता 25 की 6.3250 है0 भूमि राजस्व रिकार्ड दर्ज है। उक्त भूमि शामिल खाते की है जिसमें वादी के नाम 160 हिस्सा, प्रतिवादी स0 1 व 2 के नाम 161 हिस्सा तथा प्रतिवादी स0 3 के नाम 179 हिस्सा भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

वादी एवं प्रतिवादीगण ने काफी वर्षों पूर्व बहामी बंटवारा कर लिया था मुताबिक बंटवारा वादी के पास कि0न0 1 ता 8 की 2.024 हैक भूमि है वादी ने उक्त भूमि को उपजाऊ व समतल बना रखा है तथा ट्यूबवैल भी लगा रखा है प्रतिवादीगण ने भी अपने कब्जे में आयी भूमि की अलग डोल व सीवें बना रखी है तथा मुताबिक बंटवारे के अलग अलग काश्त करते आ रहे हैं लेकिन भूमि रिकार्ड में मुश्तरका दर्ज होने के कारण हमेशा लड़ाई झगड़े की सम्भावना बनी रहती है इसलिए वादी मुताबिक बाहमी बंटवारा के रास्ते व खाले को ध्यान में रखते हुए मुताबिक बाहमी बंटवारा के खाता अलग करवाकर जमाबंदी व नक्शे में अलग दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा की उक्त भूमि का मुताबिक बाहमी बंटवारा खाता व लगान अलग से तकसीम करवा ले तो पहले तो आजकल आजकल करते रहे आखिर इन्कार हो गये। इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस तलब किया गया। वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 व 5 ता 6 ने राजीनामा इस आशय का पेश किया की वादी मेहन्द्र के पास मेहन्द्र सिंह पुत्र गुरबचनसिंह जाति जटसिख सा0 रतनपुरा

खातेदार राहिन एसबीआई शाखा नोहर— प0न0 310/480 (47) के किला न0 1 ता 7 की 1.771 हैक्ट, 8/2 की .240 हैक्ट, कुल 2.011 हैक्ट नहरी— 0.999 हैक्ट, बारानी प्रथम 1.012 व अनिल कुमार पुत्र रायसिंह गोदारा व पवन कुमार पुत्र राधा कृष्ण — प0न0 310/480 (47) 17/1 की 0.240 हैक्ट, 18 ता 24 की 1.771 हैक्ट, 25/1 की .240, 25/2 की 0.013 हैक्ट रास्ता, कुल 2.264 हैक्ट नहरी—1.518 हैक्ट, बारानी प्रथम 0.733 हैक्ट, रास्ता—0.013 हैक्ट राकेश कुमार पूत्र रामप्रताप जाति जाट सा0 चारणवासी खातेदार — प0न0 310/380 (47) 8/1 की 0.013 हैक्ट, 9 ता 11 की 0.759 हैक्ट, 12/1 की 0.221 हैक्ट कुल 0.993 हैक्ट सुशीलपाल पुत्र रामप्रताप जाति जाट साकिन चारणवासी खातेदार रहन एसबीआई फेफाना — प0न0 310/480 (47) 12/2 की 0.032 हैक्ट, 13/2 की 0.240 हैक्ट, 14/2 की 0.240 हैक्ट, 15/3 की 0.228 हैक्ट, 16/1 की 0.240 हैक्ट, 17/2 की 0.013 हैक्ट, 15/1 की 0.013 हैक्ट, 16/2 की 0.013 हैक्ट रास्ता कुल 1.019 हैक्ट भूमि, नहरी — 0.272 हैक्ट, रास्ता — 0.026 हैक्ट हैक्ट, बारानी प्रथम— 0.721 हैक्ट भूमि रहेगी राकेश कुमार, सुशील कुमार पि0 रामप्रताप बहिब जाति जाट सा0 चारणवासी खातेदार— प0न0 310/480 (47) 13/1 की 0.013 हैक्ट, 14/1 की 0.013 हैक्ट, 15/2 की 0.012 हैक्ट कुल 0.038 हैक्ट, नहरी— 0.013 हैक्ट, बारानी प्रथम— 0.025 हैक्ट भूमि रहेगी। इसी अनुसार वाद वादी डिक्री किया जाता है तो हम पक्षकारान पूर्णतया सहमत है हमें कोई ऐतराज नही है।


प्रतिवादी स0 4 राजपेराकार ने जवाब पेश किया कि वाद का निस्तारण राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए किया जाना उचित है जवाब शामिल पत्रावली किया गया। वादी प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार नोहर से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त किया गया।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी व प्रतिवादीगण ने मुताबिक राजीनामा वाद वादी डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक राजीनामा स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी मुताबिक राजीनामा अन्तिम डिक्री किया जाकर रोही मौजा शिवपुरा तहसील नोहर के प0न0 310/380 मु0न0 47 के किला न0 1 ता 25 की 6.3250 है0 भूमि का पक्षकारान के हिस्सा अनुसार निम्नानुसार खाता व लगान अलग से कायम किया जाता है—


- 1 महेन्द्र सिंह पुत्र गुरबचनसिंह जाति जटसिख सा0 रतनपुरा खातेदार राहिन एसबीआई शाखा नोहर— प0न0 310/480 (47) के किला न0 1 ता 7 की 1.771 हैक्ट, 8/2 की .240 हैक्ट, कुल 2.011 हैक्ट नहरी— 0.999 हैक्ट, बारानी प्रथम 1.012
- 2 अनिल कुमार पुत्र रायसिंह गोदारा हि0 1.518 हैक्ट जाति जाट सा0 फेफाना, पवन कुमार पुत्र राधा कृष्ण हि0 0.746 हैक्ट जाति सुथार सा0 रतनपुरा खातेदार— प0न0 310/480 (47) 17/1 की 0.240 हैक्ट, 18 ता 24 की 1.771 हैक्ट, 25/1 की .240, 25/1 की 0.013 हैक्ट रास्ता, कुल 2.264 हैक्ट, नहरी—1.518 हैक्ट, बारानी प्रथम 0.733 हैक्ट, रास्ता—0.013 हैक्ट
- 3 राकेश कुमार पूत्र रामप्रताप जाति जाट सा0 चारणवासी खातेदार रहन एसबीआई फेफाना— प0न0 310/380 (47) 8/1 की 0.013 हैक्ट, 9 ता 11 की 0.759 हैक्ट, 12/1 की 0.221 हैक्ट कुल 0.993 हैक्ट नहरी


 उपसभ्य अधिकारी
 नोहर

- 4 सुशीलपाल पुत्र रामप्रताप जाति जाट साकिन चारणवासी खातेदार रहन एसबीआई फेफाना - प0न0 310/480 (47) 12/2 की 0.032 हैक्ट, 13/2 की 0.240 हैक्ट, 14/2 की 0.240 हैक्ट, 15/3 की 0.228 हैक्ट, 16/1 की 0.240 हैक्ट, 17/2 की 0.013 हैक्ट, 15/1 की 0.013 हैक्ट रास्ता, 16/2 की 0.013 हैक्ट रास्ता कुल 1.019 हैक्ट भूमि, नहरी - 0.272 हैक्ट, रास्ता - 0.026 हैक्ट हैक्ट, बारानी प्रथम- 0.721 हैक्ट भूमि
- 5 राकेश कुमार, सुशील कुमार पि0 रामप्रताप बहिब जाति जाट सा0 चारणवासी खातेदार- प0न0 310/480 (47) 13/1 की 0.013 हैक्ट, 14/1 की 0.013 हैक्ट, 15/2 की 0.012 हैक्ट कुल 0.038 हैक्ट, नहरी- 0.013 हैक्ट, बारानी प्रथम- 0.025 हैक्ट

तहसीलदार नोहर को आदेशित किया जाता है कि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार खाता व लगान अलग से कायम करते हुए राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किया जावें। यदि पक्षकारान का हिस्सा किसी बैंक के रहन है तो रहन को पक्षकारान के हिस्सा पर स्थानान्तरण करते हुए राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल दरामद किया जावे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना-अपना वहन करे। अंतिम पर्चा डिक्री जारी हों।

निर्णय आज दिनांक 26/05/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

अंतिम पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर०ए०एस०)
प्रकरण संख्या - 377/2021

अनवान:-

1. महेन्द्रसिंह पुत्र गुरबचनसिंह जाति जटसिख निवासी रतनुपरा तहसील नोहर।
- वादी

बनाम

1. सुशीलपाल पुत्र रामप्रताप जाति जटसिख निवासी चारणवासी तहसील नोहर।
2. राकेश कुमार पुत्र रामप्रताप जाति जटसिख निवासी चारणवासी तहसील नोहर।
3. जगरूपसिंह पुत्र महासिंह जाति जटसिख निवासी रतनुपरा तहसील नोहर-कलमजन
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर तहसील नोहर।
5. अनिल कुमार पुत्र रायसिंह गोदारा जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
6. पवन कुमार पुत्र राधाकृष्ण जाति सुथार निवासी रतनुपरा तहसील नोहर।

- प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 377 सन 2021 निर्णय दिनांक 26/05/2021

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्ष की उपस्थिति में निर्णायार्थ प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा अन्तिम डिक्री किया जाकर वाद रोही मौजा शिवपुरा तहसील नोहर के प०न० 310/380 मु०न० 47 के किला न० 1 ता 25 की 6.3250 है० भूमि का पक्षकारान के हिस्सा अनुसार निम्नानुसार खाता व लगान अलग से कायम किया जाता है-


- 1 महेन्द्र सिंह पुत्र गुरबचनसिंह जाति जटसिख सा० रतनुपरा खातेदार राहिन एसबीआई शाखा नोहर- प०न० 310/480 (47) के किला न० 1 ता 7 की 1.771 हैक्ट, 8/2 की .240 हैक्ट, कुल 2.011 हैक्ट नहरी- 0.999 हैक्ट, बारानी प्रथम 1.012
- 2 अनिल कुमार पुत्र रायसिंह गोदारा हि० 1.518 हैक्ट जाति जाट सा० फेफाना, पवन कुमार पुत्र राधा कृष्ण हि० 0.746 हैक्ट जाति सुथार सा० रतनुपरा खातेदार- प०न० 310/480 (47) 17/1 की 0.240 हैक्ट, 18 ता 24 की 1.771 हैक्ट, 25/1 की .240, 25/1 की 0.013 हैक्ट रास्ता, कुल 2.264 हैक्ट, नहरी-1.518 हैक्ट, बारानी प्रथम 0.733 हैक्ट, रास्ता-0.013 हैक्ट
- 3 राकेश कुमार पुत्र रामप्रताप जाति जाट सा० चारणवासी खातेदार रहन एसबीआई फेफाना- प०न० 310/380 (47) 8/1 की 0.013 हैक्ट, 9 ता 11 की 0.759 हैक्ट, 12/1 की 0.221 हैक्ट कुल 0.993 हैक्ट नहरी
- 4 सुशीलपाल पुत्र रामप्रताप जाति जाट साकिन चारणवासी खातेदार रहन एसबीआई फेफाना - प०न० 310/480 (47) 12/2 की 0.032 हैक्ट, 13/2 की 0.240 हैक्ट, 14/2 की 0.240 हैक्ट, 15/3 की 0.228 हैक्ट, 16/1 की 0.240 हैक्ट, 17/2 की 0.013 हैक्ट, 15/1 की 0.013 हैक्ट रास्ता, 16/2 की 0.013 हैक्ट रास्ता कुल 1.019 हैक्ट भूमि, नहरी - 0.272 हैक्ट, रास्ता - 0.026 हैक्ट हैक्ट, बारानी प्रथम- 0.721 हैक्ट भूमि

अ
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

5. राकेश कुमार, सुशील कुमार पि० रामप्रताप बहिब जाति जाट सा० चारणवासी खातेदार—
प०न० 310/480 (47) 13/1 की 0.013 हैक्ट, 14/1 की 0.013 हैक्ट, 15/2 की 0.012
हैक्ट कुल 0.038 हैक्ट, नहरी— 0.013 हैक्ट, बारानी प्रथम— 0.025 हैक्ट

तहसीलदार नोहर को आदेशित किया जाता है कि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन
आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार खाता व लगान अलग से कायम करते हुए राजस्व रिकार्ड में
अमल दरामद किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किया जावें। यदि पक्षकारान का हिस्सा किसी
बैंक के रहन है तो रहन को पक्षकारान के हिस्सा पर स्थानान्तरण करते हुए राजस्व रिकार्ड में
उपरोक्तानुसार अमल दरामद किया जावे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना-अपना वहन करे।

यह अंतिम डिक्री आज दिनांक 28/05/2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा
से जारी की गई।


(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर